

कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश नर्मदापुरम(म0प्र0)

—::आदेश::—

क्रमांक 275/दो-16-2/2024

नर्मदापुरम, दिनांक 10.03.2026

श्रीमती तबस्सुम खान, प्रथम जिला न्यायाधीश नर्मदापुरम के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम का दिनांक 23.03.2026 से 26.03.2026 तक कुल 04 दिवस का अर्जित अवकाश, मय सार्वजनिक अवकाश के लाभ सहित 21.03.2026 से दिनांक 28.03.2026 के कार्यालय समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति के स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश स्वीकृति पश्चात् न्यायिक अधिकारी के अर्जित अवकाश लेखे में 219 दिवस का स्वत्व शेष है।

- 1— उपरोक्त अवकाश अवधि में धारित पद रिक्त रहेगा।
- 2— अवकाश अवधि मूलभूत नियम 26 (बी)(दो) के तहत प्रमाणित की जाती है।
- 3— अवकाश अवधि में वेतनभत्ते उसी दर से देय होंगे जो अवकाश पर प्रस्थान करने के तत्काल पूर्व मिलते थे।
- 4— आवेदिका उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रथम जिला न्यायाधीश नर्मदापुरम के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम के पद पर पदस्थ रहतीं।



प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नर्मदापुरम, (म.प्र.)

पृ. क. 1156/दो-16-2/2024

नर्मदापुरम, दिनांक 10.03.2026

यथाआदेश, प्रतिलिपि:—

- 01— श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 02— श्रीमती तबस्सुम खान, प्रथम जिला न्यायाधीश नर्मदापुरम के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 03— जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

वास्ते—प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नर्मदापुरम, (म.प्र.)

